



2026:AHC:37740

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

रिट सी संख्या – 6538/2026

कैलाश एवं अन्य

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 6 अन्य

..... प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : प्रशांत सिंह, राज देव सिंह, समता सिंह कुशवाहा

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता : भूपेंद्र कुमार त्रिपाठी, मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या -6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया

1. याचिकाकर्ताओं ने वर्तमान रिट याचिका अंतरवाले अन्य के साथ निम्नलिखित प्रार्थना के साथ दायर की है:-

"ए. प्रतिवादी संख्या 2 को यह निर्देश देने के स्वरूप में एक परमादेश, आदेश या निर्देश

जारी किया जाए कि वह अपील संख्या 06 / 2026 (कंप्यूटर केस नंबर

202614000000006 / 2026) कैलाश और अन्य बनाम चंद्रभान और अन्य में दिनांक

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



17.01.2026 को दिया गया स्थगन आवेदन, जो अपर आयुक्त (प्रशासन), वाराणसी

मंडल, वाराणसी के न्यायालय में लंबित है, का निर्णय निर्धारित अवधि के भीतर करे।"

2. शासकीय अधिवक्ता द्वारा यह तर्क किया गया है कि प्रतिवादी संख्या 2, लंबित अपील में याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर स्थगन आवेदन पर शीघ्रतापूर्वक उचित आदेश पारित करेगा।
3. याचिकाकर्ताओं के विधिक सलाहकार, राज्य के लिए शासकीय अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 के विधिक सलाहकार तथा प्रतिवादी संख्या 7 की ओर से उपस्थित श्री भूपेंद्र कुमार त्रिपाठी को सुना गया।
4. शासकीय अधिवक्ता द्वारा यह तर्क किया गया है कि प्रतिवादी संख्या 2, याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर उपरोक्त स्थगन आवेदन का शीघ्रतापूर्वक निर्णय करेगा।
5. रिट याचिका का अंतिम रूप से निपटारा प्रतिवादी संख्या 2 को यह निर्देश देते हुए किया जाता है कि वह स्थगन आवेदन पर शीघ्रतापूर्वक, अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तारीख से दो सप्ताह की अवधि के भीतर, उचित आदेश पारित करे, किंतु अनावश्यक स्थगन प्रदान किए बिना, जब तक कि कोई विधिक बाधा विद्यमान न हो।

18 फरवरी , 2026

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”